

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज प्रदीप विधानी बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 64 / 2022</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>05.05.2022</p>	<p>अपीलार्थी प्रदीप विधानी पुत्र नानकराम विधानी निवासी बी-37, उम्मेद क्लब रोड, जोधपुर (राज.) ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 18.01.2022 में उसके द्वारा मानीनय जिला कलक्टर महोदय को दिनांक 14.07.2021 जरिये स्पीड पोस्ट को " मीरा विहार झालामण्ड खसरा न. 40 के भूखण्ड संख्या 218 से आगे के प्लॉटों आवासीय कॉलोनी में बिना निर्माण अनुमति हासिल किए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग निर्मित किये जाने के पश्चात दिनांक 05.03.2021 को बनायी गयी मौका रिपोर्ट की जांच निष्पक्ष अधिकारी से करवाने के संबंध में " हेतु कुल दो पत्र प्रेषित किए गए, उपरोक्त प्रेषित पत्रों पर कार्यालय जिला कलक्टर महोदय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचित एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	